स्पाइसेस बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची-682 025
केरल

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच) के अधीन छोटी इलायची के उत्पादन व विपणन केलिए बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने केलिए पार्टनर एजेंसी के चयन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति [ई ओ आई] का निमंत्रण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्पाइसेस बोर्ड एम आई डी एच के अधीन छोटी इलायची के उत्पादन व विपणन हेतु बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने केलिए पार्टनर एजेंसियों के चयन हेतु राज्य कृषि विश्व विद्यालयों / केंद्रीय संस्थानों सहित तत्पर सरकारी एजेंसियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करता है। छोटी इलायची केलिए मोहरबंद लिफाफों में निम्नलिखित पते पर 31/10/2016 को या उससे पूर्व ई ओ आई प्रस्तुत करनी होगी और लिफाफे के ऊपर स्पष्टत: " *बेसलाइन सर्वेक्षण -छोटी इलायची केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति* " लिखा जाना चाहिए। ई ओ आई के निमंत्रण और विचारार्थ-विषय संबंधी विवरण www.indianspices.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

श्री पी.एम.सुरेष कुमार
निदेशक (विकास)
स्पाइसेस बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
सुगंध भवन
एन एच बै पास
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची- 682 025
केरल
टेली.नं: 0484-2333607
इ-मेइल: sureshkumar.pm@nic.in

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच) के अधीन छोटी इलायची के उत्पादन व विपणन में बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने केलिए पार्टनर एजेंसी के चयन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति का निमंत्रण

पृष्ठभूमि

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार मसालों व मसाले उत्पादों के निर्यात संवर्धन उपायों केलिए जिम्मेदार है। मसालों के विकास केलिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु एम आई डी एच के अधीन एक राष्ट्र स्तरीय एजेंसी [एन एल ए] के रूप में स्पाइसेस बोर्ड अनुमोदित है। छोटी इलायची दक्षिण भारत में बढ़ाया जाने वाला प्रमुख मसाला है। केरल प्रमुख उत्पादक राज्य है, बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। एम आई डी एच कार्यक्रम के भाग के रूप में स्पाइसेस बोर्ड उत्पादन, कटाई-पश्चात प्रबंधन, मूल्य-शृंखला विकास, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु तंत्र सोच निकालने केलिए छोटी इलायची के उत्पादन व विपणन केलिए बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने केलिए प्रस्ताव करता है।

उद्देश्य

बेसलाइन सर्वेक्षण का उद्देश्य, किसानों/उत्पादकों के परिप्रेक्ष्य में छोटी इलायची के उत्पादन, कटाई-पश्चात प्रबंधन एवं विपणन के मामलों की तमाम बातों को समझना है। यह अध्ययन वास्तविक परिस्थिति को बेहतर समझने में सहायक होगा और मूल्य-शृंखला को, मूल्य-शृंखला में किसानों के स्थान को सुधारने के उपायों और छोटी इलायची के कृषकों द्वारा बेहतर मूल्य वसूली एवं बेहतर विपणी लिंकेज की संभावनाओं को विकसित करेगा। बेसलाइन सर्वेक्षण छोटी इलायची के उत्पादन, कटाई-पश्चात प्रबंधन, मूल्य-शृंखला विकास, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के तंत्र के आविष्कार करने में सहायक होगा।

अध्ययन-क्षेत्र

छोटी इलायची केलिए बेसलाइन सर्वेक्षण केरल के इडुक्की जिले में और कर्नाटक के कोड़गु, चिकमगलूर एवं हसन जिलों में चलाए जाएंगे। विपणी अध्ययन कार्य पुट्टडी, कुमिली, कट्टप्पना, नेडुंकंडम, राजाक्काड, बोडिनायकन्नूर, मड़िकेरी, सकलेशपुर, हसन, दिल्ली, कानपुर एवं मुम्बई जैसे प्रमुख विपणन केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे।

विचारार्थ विषय (टी ओ आर)

बेसलाइन सर्वेक्षण में औसतन जोत-क्षेत्र का आकार, उत्पादन, उत्पादकता, इलायची कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि-प्रथाएँ, पी एच एम अवसंरचना की स्थिति, प्रसंस्करण सुविधाएँ, विपणन अवसंरचना, छोटी इलायची किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य, इलायची (छोटी) की समूची मूल्य-शृंखला में कृषकों-उत्पादकों की स्थिति का मूल्यांकन शामिल होगा। बेसलाइन सर्वेक्षण के विचारार्थ-विषय

निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे लेकिन उनमें ये भी शामिल होंगे :

उत्पादन एवं कटाई-पश्चात प्रबंधन

- जोतक्षेत्र के औसतन आकार और इलायची की खेती के अधीन के क्षेत्र का मूल्यांकन
- अपनाया गया फसलन पैटर्न - शुद्ध फसल या अंतराफसल
- पुनरोपण / अंतराल भरण केलिए प्रयुक्त रोपण सामग्रियों के स्रोत व उनकी मात्रा का मूल्यांकन
- निर्मोचित व इलायची कृषकों द्वारा बढाई गई देशी क़िस्म, यदि कोई हो, के प्रयोग व इन क़िस्मों के विशेष गुणों का मूल्यांकन
- पिछले 5 सालों में बुआई का समय / रोपण का पैटर्न और स्वीकार किए गए पुनरोपण-चक्र का मूल्यांकन
- नाशकजीव व रोगों के प्रकोप का मूल्यांकन
- कृषकों द्वारा चलाए छिड़काव की बारगी, पादप संरक्षण रसायन, खुराक, दो छिड़कावों के बीच के अंतराल का मूल्यांकन
- आई पी एम / आई डी एम / आई एन एम सहित संस्तुत कृषि कार्यों की स्वीकृति का मूल्यांकन
- पिछले 5 वर्षों के दौरान इलायची के उत्पादन व उत्पादकता का मूल्यांकन
- कृषकों को उपलब्ध संस्थानीय वित्त-समर्थन का मूल्यांकन
- सिंचाई/फेर्टीगेशन का स्वीकृत तरीका और सिंचाई से प्राप्त लाभ का मूल्यांकन
- स्वीकृत कटाई विधि (पकी हुई, पक्व /अपक्व संपुटिकाएँ), तुड़ाई की बारगी, तुड़ाई के बीच का अंतराल और प्राप्त उपज का मूल्यांकन
- इलायची कृषकों द्वारा अपनाए गए कटाई पश्चात प्रबंधन तकनीकों नामत: धुलाई,शुष्कन, सफाई, श्रेणीकरण, भंडारण के प्रयोग का मूल्यांकन
- अपनाई गई श्रेणीकरण प्रणाली, प्रमुख श्रेणियाँ, श्रेणीकरण के पैरामीटर, नामत: आकार, रंग, लीटर भार आदि का मूल्यांकन
- लाभ : लागत अनुपात सहित कृषि लागत, पुनरोपण लागत का मूल्यांकन

- कृषकों द्वारा अपनाई गई विपणन प्रणालियों [अर्थात ब्यौहारी, गाँव के व्यापारी, निर्यातक को बिक्री, नीलाम केंद्र के ज़रिए आदि] का मूल्यांकन
- इलायची के गुणवत्ता मामलों [कृत्रिम रंग, नाशकजीव अवशेष आदि] का मूल्यांकन
- इलायची के उत्पादन / उत्पादकता के रुख और कारण
- क्षेत्र दौरे, बैठकें, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से कृषकों को प्राप्त विस्तार सलाहकार समर्थन का मूल्यांकन
- छोटी इलायची उत्पादन पर मौसम के परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन

विपणन

- विपणी अवसंरचना (नीलाम केंद्र, वेयरहाउसिंग सुविधाएं आदि) और पिछले 5 वर्षों में प्रसंस्करण केलिए भेजे गए उत्पादन के प्रतिशत का मूल्यांकन
- इलायची की घरेलू विपणी मांग का मूल्यांकन
- विपणी के आकार का मूल्यांकन
- नीलाम प्रणाली सहित इलायची की वर्तमान विपणन प्रणाली [मार्केट चैनल/सप्लाई चेइन] का मूल्यांकन
- प्रमुख विपणन-केन्द्रों एवं प्रमुख घरेलू उपभोक्ता केन्द्रों में मात्रा/आगम
- विभिन्न क्षेत्रों नामत: खाद्य, मिठाई, पेय, देशी दवाएं, पान आदि, में इलायची के प्रयोग के पैटर्न का मूल्यांकन
- नीलाम केन्द्रों के मूल्य / ब्यौहारी मूल्य और फार्म गेट मूल्य आदि की तुलना में उपभोग केन्द्रों में इलायची के कीमत-लागत अंतर विश्लेषण चलाना (कीमत का ढांचा)
- इलायची विपणन केलिए राज्यों के बीच और राज्यों में वर्तमान कर-संरचना और व्यापार पर इसके असर का मूल्यांकन
- उत्पादन और कीमत के बीच के संबंध का अध्ययन
- छोटी इलायची में मूल्य वर्द्धन के संभाव्य क्षेत्रों का मूल्यांकन
- इलायची के निर्यात-पैटर्न और निर्यात की चुनौतियों का अध्ययन

- उत्पादकों व क्रेताओं के बीच सीधा विपणन संबंध स्थापित करने की संभावना का अध्ययन
- जी एस टी पेश किए जाने के बाद इलायची कृषकों पर संभाव्य प्रभाव
- निर्यात सहित, भारत में छोटी इलायची के उत्पादन को बढ़ावा देने, विपणन संवर्द्धन केलिए उचित तंत्र की संस्तुति करें

नमूना आकार

पार्टनर एजेंसी द्वारा कम से कम 1000-1500 जोत-क्षेत्रों में नमूना-सर्वेक्षण के ज़रिए छोटी इलायची केलिए बेसलाइन सर्वेक्षण चलाया जाएगा। लेकिन नमूनों की यथार्थ संख्या का निर्णय एजेंसी द्वारा लिया जाएगा। पार्टनर एजेंसी, इलायची केलिए मूल्य-शृंखला सहित विपणन के मामलों के अध्ययन केलिए विपणी-सर्वेक्षण भी एकसाथ चलाएगी।

समयावधि / अनुसूची

बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि, एम ओ यू हस्ताक्षर करने की तारीख के 3 1/2 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। पार्टनर एजेंसी मसौदा-रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और मसौदा-रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक हफ्ते के अंतर्गत फीड बैक केलिए एक प्रस्तुतीकरण करेगी और अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले फीडबैक के अनुसार उन बातों को भी शामिल करेगी।

सुपुर्दगी योग्य मदें

- दित्ता आकलन फॉरमैट / प्रश्नावली तैयार करें और अनुमोदनार्थ स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत करें
- दित्ता संग्रहण फॉरमैट / प्रश्नावली का खेत-परीक्षण और खेत-परीक्षण से पाए परिवर्तन को शामिल करें
- खेत में प्रयोग से पूर्व दित्ता संग्रहण फॉरमैट/प्रश्नावली को स्पाइसेस बोर्ड से परामर्श के साथ अंतिम रूप दें
- प्रगणकों का चयन करें और प्रश्नावली के उपयोग, दित्ता संग्रहण विधि, नमूना इकाई चयन और अन्य तकनीकी विवरण पर उनको प्रशिक्षण प्रदान करें
- दित्तों और व्याख्याओं का विश्लेषण करें
- डेटा सेट को एक्सेल [excel] में और प्रश्नावलियों केलिए एस पी एस एस [SPSS] में डेटाबेस प्रदान करें
- स्पाइसेस बोर्ड को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करें और स्पाइसेस बोर्ड में निष्कर्ष एवं सुझाओं को साझा करने केलिए प्रस्तुत करें और फीडबैक को अंतिम रिपोर्ट में शामिल करें

- स्पाइसेस बोर्ड को सॉफ्ट कॉपी के साथ अंतिम रिपोर्ट की पाँच प्रतियाँ (हार्ड) प्रस्तुत करें

टीम का गठन

पार्टनर एजेंसी को उत्पादन एवं विपणी अध्ययन केलिए बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने हेतु एक मजबूत टीम होगी। टीम को कम से कम एक कृषि-विशेषज्ञ वरीयत: कृषि-अर्थशास्त्र में, और एक एम बी ए धारक होगा। पार्टनर एजेंसी सर्वेक्षण चलाने हेतु प्रगणकों के रूप में अपने पदाधिकारियों का इस्तेमाल करेंगे नहीं तो सर्वेक्षण चलाए जाने वाले राज्यों के कॉलेज के छात्रों को भाड़े पर रखेंगे। बोर्ड को यह अधिकार होगा कि जहां कहीं अपेक्षित हो, वे अपने अधिकारियों को बेसलाइन सर्वेक्षण / विपणी सर्वेक्षण के मानीटरिंग केलिए प्रतिनियुक्त करें।

संपर्क

पार्टनर एजेंसी बोर्ड के विकास एवं विपणन विभागों से मिलकर काम करेंगे।

पार्टनर एजेंसी को भुगतान के निबंधन

i) क्रियाविधि /अध्ययन की रूपरेखा दिखाते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने और एम ओ यू बनाने तथा बोर्ड द्वारा मसौदा प्रश्नावली के अनुमोदन के बाद 30% भुगतान किया जाएगा।
ii) मसौदा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 40% भुगतान किया जाएगा।
iii) अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 30% भुगतान किया जाएगा।

चयन-प्रतिमान

सफल ई ओ यू प्रस्तुत एजेंसियों में से बोली लगाने के माध्यम से पार्टनर एजेंसी का चयन किया जाएगा। ई ओ यू प्रस्तुत एजेंसियों को बोली लगाने से पूर्व बैठक केलिए बुलाया जाएगा। बोर्ड को, बिना कोई कारण बताए किसी/सभी ई ओ यू को रद्द करने , बिना कोई कारण बताए बोर्ड के हित में यदि आवश्यक समझा जाय, इस दस्तावेज़ में निर्धारित किन्हीं भी शर्तों में ढील लाने या छोड़ देने, बोली लगाने की बैठक के पूर्व या बाद में टी ओ आर के किन्हीं भी अन्य मदों को शामिल करने का अधिकार होगा। चयनित एजेंसी बोर्ड के साथ एक समझौता-ज्ञापन (एम ओ यू) बनाएगी।

छोटी इलायची पर बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र

क्रम सं	मदें	विवरण
1	सरकारी एजेंसी का नाम	
2	पता टेलीफोन इ-मेइल वेबसाइट	
3	संपर्क व्यक्ति का नाम पदनाम मोबाइल नं.	
4	बेसलाइन सर्वेक्षण चलाने में एजेंसी की शक्तियाँ और क्षमताएँ	
5	पूर्व में चलाए समान प्रकार के कार्य संबंधी विवरण	
6	बेसलाइन सर्वेक्षण में शामिल करने को प्रस्तावित अधिकारियों के विवरण और उनकी योग्यता	
7	किसी अन्य संगत सूचना	

मैं ने निबंधनों व शर्तों को पढ़ा है और उनका अनुसरण करता हूँ। मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ / करती / करते हैं कि इस वक्तव्य में दी गई सूचनाएँ अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सच एवं सही हैं और मुझे/हमें यह मालूम है कि बाद में यदि कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो, मेरी/हमारी एजेंसी को प्रतिभागिता लेने हेतु अयोग्य बनाया जाएगा।

स्थान:

दिनांक: **प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर व मोहर**